भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3162

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

श्रमिकों से ऋण की वसूली

3162. **श्री मन्ना लाल रावतः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत वर्षों में कामगारों के बहुत अधिक वृद्ध होने के साथ-साथ कामगारों के पलायन, मृत्यु, सूखे की स्थिति और कामगारों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण राजस्थान में बड़ी संख्या में आयोग निधि और कंसोर्टीयम बैंक ऋण के माध्यम से वित्त पोषित ऋणों की वसूली में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और ऐसे कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) राजस्थान में ऐसे मामलों में आयोग निधि और कंसोर्टीयम बैंक ऋण के अंतर्गत मूल राशि, साधारण ब्याज, दंडात्मक ब्याज और कुल बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त कामगारों के बकाया ऋणों और ब्याज को पूर्ण या आंशिक रूप से माफ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त ऋणों को कब तक माफ किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ): राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, कमीशन फंड तथा कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत मूल धन, साधारण ब्याज, दंडात्मक ब्याज तथा कुल बकाया राशि का ब्योरा निम्नानुसार है:

(धनराशि करोड़ रुपये में)

चूककर्ताओं/लेनदारों की संख्या	मूल बकाया ऋण	साधारण ब्याज	दंडात्मक ब्याज	कुल
कमीशन फंड(आयोग निधि)				
83,354	18.75	26.79	32.26	77.80
कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट स्कीम				
2,541	3.81	9.96	4.68	18.45

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने दिनांक 15.03.2021 के अपने परिपत्र संख्या Accounts/II/Waiver of Penal Interest-CBC/2020-21 के माध्यम से कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट योजना के अंतर्गत ऋणग्राहियों से वसूल किए जाने वाले दंडात्मक ब्याज को माफ करने की स्वीकृति प्रदान की है।
